प्रेस नोट

दिनांक 23.08.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा 04 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बिजली की केबिल व 01 अदद पिकअप बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-381/2025, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 04 शातिर चोरो-01. उमेश चौहान 02. सन्तबक्स उर्फ शुभम यादव, 03. प्रदीप यादव, 04. सुन्दरम को ऊँटघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बिजली की केबिल व परिवहन में प्रयुक्त 01 पिकअप बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.08.2025 को श्री शत्रुहन सिंह अवर अभियंता मनकापुर उपकेन्द्र द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि 33/11 के.वी. उपकेन्द्र मनकापुर जनपद गोण्डा से अज्ञात चोरों द्वारा विद्युत सामग्री चोरी कर ली गई। चोरी गई सामग्री में लगभग 100 मीटर 630 स्क्वायर एम.एम., 150 मीटर 400 स्क्वायर एम.एम. सिंगल कोर तार, 150 मीटर 250 स्क्वायर एम.एम., 200 मीटर 3Û95 ए.वी. केबल, 400 मीटर डाग वायर (नंगा तार) तथा नवनिर्मित कुड़ासन बिजली घर से 800 मीटर डाग वायर (नंगा तार) शामिल है। वादी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 23.08.2025 को थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले 04 शातिर चोराे-01. उमेश चौहान 02. सन्तबक्स उर्फ शुभम यादव, 03. प्रदीप यादव, 04. सुन्दरम को ऊँटघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बिजली की केबिल व परिवहन में प्रयुक्त 01 पिकअप बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. उमेश चौहान पुत्र रामजियावन चैहान निवासी ऐलीमाझा, थाना उमरी बेगमगंज, गोण्डा।
02. सन्तबक्स उर्फ शुभम यादव पुत्र बृजकुमार यादव निवासी नरसड़ा, थाना उमरी बेगमगंज, गोण्डा।
03. प्रदीप यादव पुत्र अनन्तराम यादव निवासी नरसड़ा, थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।
04. सुन्दरम पुत्र राजेश शर्मा निवासी ऐलीमाझा, थाना उमरी बेगमगंज, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-381/2025, धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 04 बण्डल बिजली का नंगा तार
02. 03 बण्डल काले रंग की केबिल
03. लगभग 25 मीटर नंगा तार से लिपटी केबिल
04. लगभग 08 फुट गेरुआ रंग का मोटा तीन तार का केबिल
05. घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन

06. 01 अदद तार कटर

07. कुल ₹4670/- नगद।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. व0उ0नि0 उमेश सिंह।

02. उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव।

03. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता।

04. का0 रवि सिंह।

05. का0 दुर्गेश सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।